संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिकायत/सेल–2/धार/2018/1466 भोपाल,दिनांक 08/08/2018

प्रति,

डॉ. एस.के. खरे,
तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
धार,मध्यप्रदेश।

द्वारा– क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
विषयः– विभागीय जांच विरूद्धः– **डॉ.एस.के.खरे**,तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,धार, मध्यप्रदेश।

–––––000–––––

आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप पत्र में दिया गया है। अभीकथन जिस पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखो की सूची तथा गवाहो की सूची जिन पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखो की सूची तथा गवाहो की सूची जिनके आधार पर आरोप पत्र प्रस्तावित है, वे भी संलग्न है।

2) आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र मिलने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावे कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहो की सूची पूर्ण पते सहित भेजे।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखो को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप पत्रादि के साथ संलग्न अभिलेखो का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

3) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस में प्रभारी क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर के माध्यम से प्राप्त नही होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

4) इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

संलग्नः–1 आरोप पत्र 2 अभिकथन पत्र 3 अभिलेखो की सूची 4 गवाहो की सूची।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।</u>

8/8/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश निरन्तर.....2

पृ.क्रमांक.4/शिकायत/सेल.2/जिला–धार/2018/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।

02. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के संदर्भ में प्रेषित्।

03. कलेक्टर, जिला **धार,** मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।

04. उप संचालक **विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा** स्थानीय कार्यालय ।

05. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश की ओर जारी आरोप पत्रादि की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आरोप पत्र (निलंबित) डॉ.एस.के.खरे,प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट साथ ही जारी आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर प्राप्त कर प्राप्त प्रतिवाद उत्तर संचालनालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराना कराना सुनिश्चित करें **अन्यथा विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार, मध्यप्रदेश।

07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला धार,मध्यप्रदेश।

08. संभागीय कोष एवं लेखा इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।

09. जिला कोषालय अधिकारी जिला धार,मध्यप्रदेश।

10. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी आरोप पत्रादि की प्रतिलिपि भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आरोप पत्रादि विभाग की वेब साईट पर अपलोड़ करावें।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.......3

आरोप पत्र

डॉ. एस.के.खरे,तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार मध्यप्रदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोपो का विवरण :-

आरोप कमांक01:-

यह कि आप डॉ. एस.के. खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार के पद पर 13/06/2017 से पदस्थ थे, के दौरान आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन बैग की सामग्री आदि का वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू 10220690 व्यय कर आहरण किया गया । यह भी कि इस मद में आपके कार्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में मापदण्ड रू 4910454 अनुसार 15 प्रतिशत सफाई सामग्री रू 640500 मात्र अनुमत्य थी, वित्त वर्ष 2018-19 अंतर्गत सफाई मद में विभागीय मापदण्ड को भंग कर वित्तीय अनियमितता का भागी बना लिया ।

आरोप कमांक02:-

यह कि आप सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, के पद पर रहते हुए वित्त वर्ष 2018-19 में आरोप कमांक 01 में उल्लेखित व्यय हेतु जो लेखाशीर्ष निर्धारित था, उससे व्यय न करते हुये लेखाशीर्ष 1473-0102-31-006 से रू. 1628400 का मदों का परिवर्तन कर म0प्र0 कोष संहिता के सहायक नियम 121 के बिन्दु 4 एवं म0प्र0वित्त संहिता के नियम 8 का उल्लंघन करते हुए उक्त व्यय कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

आरोप कमांक03:-

यह कि आपके द्वारा इस सामग्री के कय में लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो कमशः म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 के नियम 8 एवं व्यय में औचित्य, एप्लीकेशन ऑफ माईंड, एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्वांतो के प्रकाश में म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 के नियम 9 एवं बिना आंकलन किए गए नियम 118 का पालन नहीं किया एवं लेखाशीर्षो के अनुशासन को भंग करते हुये अनियमित आहरण किया गया। म0प्र0 वित्त संहिता के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 121 के अंतर्गत भण्डार प्राप्ति पर समस्त सामग्री सत्यापन कर भण्डार में उपलब्ध होना चाहिए।

आरोप कमांक04:-

कलेक्टर धार द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन परिशिष्ट-2 में अवगत कराया गया कि, कार्यालय द्वारा जिन संस्थाओं को कयादेश जारी किए गए अर्थात जिन संस्थाओं से सामग्री कय वह संस्थाऐं अधिकृत न होते हुए फर्जी पाई गई एवं कूटरचित रूप से गबन करते हुये नियमो को तोडकर अनियमित खरीदी कर शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाई । ऐसी संस्थाओं को कयादेश जारी करना वित्तीय हानि एवं शासकीय धन की अभिरक्षा के प्रति धोखाधड़ी की श्रेणी मे आता है, जिसमें कि आपके स्तर से वित्त संहिता नियम 12, 22 एवं 25 का उल्लंघन किया गया है।

..........4

आरोप कमांक05:–

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 के बिन्दु 1 में सिविल सर्जन को रू 10 लाख तक के औषधि/सामग्री कय के अधिकार प्रत्योजित थे, आपके द्वारा प्रत्योजित वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन करते हुये बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए बगैर राशि रू0 10220690 की सामग्री कय कर राशि का आहरित की गई।

आरोप कमांक06:–

आरोप कमांक 01 में कय की गई सामग्री म0प्र0 भण्डार नियम 2015 के नियम 11.2 के उपनियम 11.2.1 से 11.2.6 अनुसार खुली निविदि के माध्यम ये कय की प्रकिया निहित की गई है । जिसकी अनदेखी कर अनाधिकृत फर्मो से सीधे कय किया गया एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के औषधि प्रकोष्ठ शाखा द्वारा जारी पत्र कमांक 169/औ0प्रको0/2017 दिनांक 24.06.2017 में औषधि उपार्जन मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

13/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

........5

अभिकथन पत्र

डॉ. एस.के. खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला धार विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (3) के अंतर्गत आरोपो के समर्थन में कदाचारों का विवरण पत्रक :–

अभिकथन कमांक01:–

यह की आप कार्यालय सिविल सर्जन धार में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ रहते हुये :–
जांच दल द्वारा (परिशिष्ट 1 एवं 2) यह अवगत कराया गया कि आप डॉ. एस.के. खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार के पद पर पदस्थी के दौरान आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 पूर्ण रूपेण सफाई के मद से विभिन्न प्रकार की सफाई सामग्री, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन बैग सामग्री आदि पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू 10220690 का व्यय किया । यह भी कि इस मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु विभागीय मापदण्ड रू 4910454 अनुसार 15 प्रतिशत राशि रू 640500 मात्र सामग्री क्रय हेतु अनुमत्य थी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार द्वारा मापदण्ड का पालन नहीं किया एवं अत्यधिक असामानुपातिक क्रय किया जो कि वित्तीय अनियमितता है। विवरण निम्नानुसार है :–

स0 क्र0	कोषालय देयक कमांक एवं दिनांक	फर्म का नाम जिसको आदेश दिये गए	राशि
01	37/09-04-2018	म0प्र0 राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन	2321650
02	36/09-04-2018		1129780
03	39/09-04-2018		1752300
04	34/04-04-2018		3030400
05	25/09/04/2018	हरिओम विक्रय केन्द्र, इंन्दौर	1184366
06	38/09-04-2018	व्ही.केयर मेडीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर	203314
07	38/-09-04-2018	श्री हायजीन प्रोडक्ट इन्दौर	598880
		TOTAL	**10220690**

अभिकथन कमांक02:–

जांच दल (परिशिष्ट 1 एवं 2) के जांच प्रतिवेदन में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर रहते हुए वित्त वर्ष 2018–19 में आरोप कमांक 01 में उल्लेखित क्रय की गई सामग्रियों के लिए जो लेखाशीर्ष निर्धारित था, उससे व्यय न करते हुये मैनपॉवर के वेतन भुगतान हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष से उक्त सामग्री का क्रय कर भुगतान किया गया।

स0 क्र0	**भुगतान योग्य लेखाशीर्ष**	**परिवर्तित लेखाशीर्ष**	**प्रवृत्ति**	**फर्म का नाम**	**कुल राशि**
01	5719-31-006	31-006	बायोमेडिकल कलेक्शन बैग	म0प्र0 राज्य सहकारी उपभोक्तां संघ मर्यादित उज्जैन	1628400

...........6

अभिकथन कमांक03:–

जांच दल द्वारा (परिशिष्ट 1 एवं 2) यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित कार्यालय द्वारा इस सामग्री के कय में लोक निधि से व्यय के लिए आवश्यक शर्तो का पालन नहीं किया साथ ही औचित्य, एप्लीकेशन ऑफ माईड, एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्वांतो एवं पूर्वानुमान का पालन नहीं किया। इस प्रकार म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 के नियम 8 एवं 9 एवं 118 का पालन नहीं किया गया।

अभिकथन कमांक04:–

कलेक्टर, धार के द्वारा (परिशिष्ट 1 एवं 2) की गई जॉच में स्पष्ट हुआ, कि प्रदायकर्ता फर्म/संस्थाओं जिनसे उपरोक्त सामग्री कय की गई है,उनके कारोबार स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें मेसर्स हरिओम विकय केन्द्र, 48 वल्लभ नगर इंदौर से कय राशि रू 1184366 एवं व्ही.केयर मेडिप्लास्ट प्रा0लि0,108 रेडिमेड काम्प्लेक्स परदेसीपुरा इंदौर से कय राशि रू 203314 के निरीक्षण के दौरान उक्त दोनो फर्मो के पतो पर कोई साइन बोर्ड लगा नहीं पाया गया एवं आसपास के रहवासियों ने भी उक्त फर्मो के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की इसके अतिरिक्त सेंट्रल स्टॉक पंजी से इश्यू व्हाउचर में उल्लेखित सामग्री की प्रविष्टियॉ पूर्ण रूप से अंकित नहीं की गई। सामग्री का विवरण जिन वार्डो को किया गया उन वार्डो के स्टॉक रजिस्टर में सामग्री की मात्रा/संख्या प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एव नाम प्राप्ति दिनांक आदि का विवरण अंकित नहीं पाया गया, स्टॉक रजिस्टर भी अधिकृत अधिकारी से सत्यापित नही पाया गया। जो कि जॉलसाजी एवं गबन की श्रेणी में आकर हानि की श्रेणी है इस प्रकार म0प्र0 वित्त संहिता नियम 22 एवं 25 के अंतर्गत दंडनीय है एव साथ ही भण्डार की प्राप्ति, निर्गमन,भण्डार के लेखांकन संबंधी म0प्र0 वित्त संहिता नियम 122 एवं 135 का घोर उल्लंघन है।

अभिकथन कमांक05:–

जांच दल द्वारा (परिशिष्ट 1 एवं 2) यह भी अवगत कराया गया कि म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग हेतु वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग 2 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को रू 10 लाख तक के स्थानीय स्तर के कय के अधिकार प्रत्योजित थे, आपके द्वारा प्रत्योजित वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन करते हुये बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए व्यय किया गया साथ ही जांच दल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आपके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के अनुमत्य से बचने हेतु म0प्र0 वित्त संहिता भाग 1 के नियम 119 न करते हुये स्थानीय फर्मो को कय आदेशों को विभक्त कर कय आदेश जारी किये गये।

अभिकथन कमांक06:–

जांच दल द्वारा (परिशिष्ट 1 एवं 2) यह भी अवगत कराया गया कि कार्यालय में किए गए कय/व्यय पर कय समिति का अनुमोदन एवं किसी प्रकार की कोई अभिमत नही लिया गया। म0प्र0 भण्डार नियम 2015 के नियम 11.2 के उपनियम 11.2.1 से 11.2.6 अनुसार खुली निविदा के माध्यम ये कय की प्रकिया निहित की गई है। जिसकी अनदेखी कर अनाधिकृत फर्मो से सीधे कय किया गया एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के औषधि प्रकोष्ठ शाखा द्वारा जारी पत्र कमांक 169/औ0प्रको0/2017 दिनांक 24.06.2017 में औषधि उपार्जन मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया ।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हुये आपके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) तथा भण्डार कय नियमों का उल्लघन करते हुए स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

8/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर......7

अभिलेखो की सूची

डॉ. एस.के. खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,धार के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (3) के अंतर्गत आरोपो के संबंध में अभिलेखो की सूची :–

1 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल द्वारा गठित जांच दल द्वारा की गई जांच का जांच प्रतिवेदन। (परिशिष्ट 1 पृष्ठ 1 से 67)

2 कलेक्टर कार्यालय जिला धार द्वारा संलग्न जांच प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया गया। (परिशिष्ट 2 पृष्ठ 68 से 91)

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

8/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

गवाहो की सूची

डॉ. एस.के. खरे, तत्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, धार के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (3) के अंतर्गत आरोपो के संबंध में गवाहो की सूची :–

1 श्रीमति भगवती काग, जिला कोषालय अधिकारी धार ।

2. सुश्री नेहा साहु, डिप्टी कलेक्टर, जिला धार ।

3. सुश्री अंजली गुप्ता, नायब तहसीलदार, धार ।

4 श्री प्रतीक नेताम,कनिष्ठ लेखाधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल।

5 श्री दिनेश सोलंकी,कनिष्ठ लेखाधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन।

6 श्री अमित तिवारी,कनिष्ठ लेखाधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर।

7. श्री जितेन्द्र रोजड़े,कनिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।

8. श्री आर.के.गांगले,ऑडिटर,कार्यालय श्रेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं, इन्दौर संभाग इंदौर।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

8/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

[redacted] ① परिशिष्ट-1

कार्यालय सिविल सर्जन सहः मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार द्वारा साफ–सफाई मद–1473–31–006 अन्तर्गत अनियमित/मद परिवर्तन कर आहरण किये जाने का जांच प्रतिवेदन

संचालनालय स्वास्थ्य मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/6/बजट–2210/2018–19/228/भोपाल दिनांक 21 जून–2018 द्वारा साफ–सफाई मद–1473–31–006 में निर्धारित वार्षिक मापदण्ड राशि से अत्यधिक व्यय करने वाले प्राधिकारियो की जॉच कराने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं भोपाल के अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयो में पदस्थ कनिष्ठ लेखाधिकारियों का जॉच दल डॉ. राजीव सक्सेना अपर संचालक(वित्त) के पर्यवेक्षण में गठित किया गया तथा दिनांक 22–23 जून–2018 को कार्यालय सिविल सर्जन सहः मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार को सम्पूर्ण दस्तावेज क्रय आदेश, टेण्डर डाक्यूमेंट, स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक बेलेंस, एवं उपस्थिति पंजी आदि लेकर उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान किये गये जिसके अनुक्रम में जॉच दल द्वारा दिनांक 22.6.2018 को कार्यालय सिविल सर्जन सहः मुख्य अस्पताल अधीक्षक **जिला धार** के व्ययित अभिलेखो का क्रय आदेश, टेण्डर डाक्यूमेंट, स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक बेलेंस, एवं उपस्थिति पंजी का देयको से परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि कार्यालय द्वारा बिना टेण्डर जारी किए तथा भण्डार क्रय नियमों की प्रक्रिया पूर्ण किये राशि रू 10220690/– अक्षरी राशि रू (एक करोड बावीस लाख छैः सौ नब्बे) का क्रय बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं वित्तीय प्रत्ययोजित अधिकारो के प्रतिकूल निम्नानुसार एजेन्सियो/फर्मो से क्रय किया गया है।

म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन से अनियमित क्रय किया जाना कुल राशि रू 82.34 लाख

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक/दिनांक	राशि
34-009	31-006	37/09.4.18	53/06.4.18	398250
34-009	31-006	37/09.4.18	54/06.4.18	194700
34-009	31-006	37/09.4.18	55/06.4.18	265500
34-009	31-006	37/09.4.18	56/06.4.18	129800
34-009	31-006	37/09.4.18	57/06.4.18	182900
34-009	31-006	37/09.4.18	58/06.4.18	230100
34-009	31-006	37/09.4.18	59/06.4.18	265500
34-009	31-006	37/09.4.18	60/06.4.18	256650
34-009	31-006	37/09.4.18	61/06.4.18	398250
Total	**0**	**0**	**0**	**2321650**

(2)

म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक / दिनांक	राशि
34-009	31-006	36/09.4.18	31/05.4.18	230100
34-009	31-006	36/09.4.18	32/05.4.18	332760
34-009	31-006	36/09.4.18	33/05.4.18	253500
34-009	31-006	36/09.4.18	34/05.4.18	118000
34-009	31-006	36/09.4.18	35/05.4.18	110920
34-009	31-006	36/09.4.18	36/05.4.18	84500
Total	0	0	0	1129780

म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक / दिनांक	राशि
34-009	31-006	39/09.4.18	70/09.4.18	531000
34-009	31-006	39/09.4.18	71/09.4.18	177000
34-009	31-006	39/09.4.18	72/09.4.18	513300
34-009	31-006	39/09.4.18	73/09.4.18	531000
Total	0	0	0	1752300

म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक / दिनांक	राशि
34-009	31-006	34/04.4.18	18/05.4.18	256650
34-009	31-006	34/04.4.18	19/05.4.18	365800
34-009	31-006	34/04.4.18	20/05.4.18	259600
34-009	31-006	34/04.4.18	21/05.4.18	230100
34-009	31-006	34/04.4.18	22/05.4.18	106200
34-009	31-006	34/04.4.18	23/05.4.18	159300
34-009	31-006	34/04.4.18	24/05.4.18	265500
34-009	31-006	34/04.4.18	25/05.4.18	253500
34-009	31-006	34/04.4.18	26/05.4.18	154350
34-009	31-006	34/04.4.18	27/05.4.18	159300
34-009	31-006	34/04.4.18	28/05.4.18	112100
34-009	31-006	34/04.4.18	29/05.4.18	442500
34-009	31-006	34/04.4.18	30/05.4.18	265500
Total	0	0	0	3030400

हरिओम विक्रय केन्द्र, इन्दौर

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक/दिनांक	राशि
34-009	31-006	25/09.4.18	G00001/ 05.4.18	141600
34-009	31-006	25/09.4.18	G00002/ 05.4.18	159300
34-009	31-006	25/09.4.18	G00003/ 05.4.18	218300
34-009	31-006	25/09.4.18	G00004/ 05.4.18	164020
34-009	31-006	25/09.4.18	G00005/ 05.4.18	282846
34-009	31-006	25/09.4.18	G00006/ 05.4.18	218300
Total	0	0	0	1184366

व्ही.केयर मेडीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक/दिनांक	राशि
34-009	31-006	38/09.4.18	27/06.4.18	103545
34-009	31-006	38/09.4.18	28/06.4.18	99769
Total	0	0	0	203314

श्री हेंगिनी प्रोडक्ट इन्दौर

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	देयक क्रमांक / दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक/दिनांक	राशि
34-009	31-006	38/09.4.18	30/07.4.18	97350
34-009	31-006	38/09.4.18	26/07.4.18	97970
34-009	31-006	38/09.4.18	27/07.4.18	97350
34-009	31-006	38/09.4.18	29/07.4.18	103545
34-009	31-006	38/09.4.18	28/07.4.18	101775
34-009	31-006	38/09.4.18	31/07.4.18	100890
Total	0	0	0	598880

work order nahi.

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार द्वारा जांच दल के समक्ष मांग--पत्र, वितरण पंजी, क्रय समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन आदेश, निविदा प्रक्रिया तथा प्राप्त सामग्रियो का भौतिक सत्यापन समिति द्वारा नहीं करवाया गया है। तथा स्टॉक पंजी के परीक्षण पर कार्यालय प्रमुख सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन नहीं किया जाता है। जबकि स्टॉक पंजी में सामग्री की प्रविष्टि होने के तत्काल कार्यालय प्रमुख द्वारा पंजी का सत्यापन किया जाना चाहिए जो अपेक्षित रहा है।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक/एफ–6–14/2012/अ–ग्यारह/भोपाल दिनांक 28.7.15 से नवीन म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम–2015 लागू हो जाने के उपरान्त भी शासन द्वारा अधिकृत एजेन्सियो हेतु आरक्षित/अनारक्षित सामग्री का क्रय म.प्र. राज्य उपभोक्ता संघ उज्जैन से किया गया है। जबकि नवीन भण्डार क्रय नियमों में म.प्र. राज्य उपभोक्ता संघ अधिकृत संस्था नहीं है। और न ही संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक–1118/दिनांक 20.3.2014 की कंडिका–6 के अनुसार मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम–17 के प्रावधान अनुसार सहकारी समिति से बिना निविदा आंमत्रित किए क्रय किया जाना प्रतिबंधित किये जाने के उपरान्त भी कार्यालय सिविल सर्जन सहः मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार द्वारा राशि रू 8234130/– का क्रय म.प्र. राज्य उपभोक्त संघ मर्यादित उज्जैन से तथा राशि 1184366/– श्री हरिओम विक्रय केन्द्र इन्दौर, राशि रू 203314/– व्ही.केयर मेडीप्लास्ट लिमिटेड इन्दौर तथा राशि रू 598880/– श्री हेंगिनी प्रोडक्ट इन्दौर से संचालनालय द्वारा दिए गए निर्देश दिनांक 20.3.2014 एवं म.प्र. नवीन भंडार क्रय नियम–2015 के प्रतिकूल क्रय किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

कार्यालय द्वारा आहरित राशि के देयको के परीक्षण पर यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा जो राशि मद क्रमांक–31–006 से आहरित की गई वह राशि मद क्रमांक–34–009 से आहरित की जाना चाहिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार द्वारा मद परिवर्तन कर मद क्रमांक–34–009 के देयको का आहरण मद क्रमांक–1473–31–006 का आहरण किया गया जिसकी वस्तु–स्थिति निम्नानुसार है :–

राशि जिस मद से आहरित की जाना चाहिए	कार्यालय द्वारा मद परिवर्तित किया गया	मद का नाम	राशि
5719	**1473-31-006**	Biomedical Waste Collection Bag 60 color code four Black, Red,Yellow , Blue	**1398300**

म.प्र. वित्त संहिता भाग–1 एवं भाग–2 तथा म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स–1995 के भाग–1 एवं 2 के अन्तर्गत शासन द्वारा विभागीय अधिकारियों को विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओ को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय अधिकार प्रत्ययोजित किए गए है। म. प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक–एफ–3–4/2004 नियम/चार/ भोपाल दिनांक 29.12.2006 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गए है, कि जिस अधिकारी को जो अधिकार प्रदत्त है। उनका प्रयोग वह अधिकारी कर सकते है। प्रकरण परीक्षण पर कार्यालय कार्यालय सिविल सर्जन सहः मुख्य अस्पताल अधीक्षक **जिला धार** द्वारा प्रत्ययोजित अधिकारो की सीमा से अधिक व्यय किया जाकर बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए तथा टुकडो–टुकडो में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिये पृथक–पृथक दिनांको द्वारा कार्यादेश जारी करते हुए क्रय किया गया जो म.प्र. वित्त संहिता नियम–119 का उल्लघंन है।

संचालनालय स्वास्थ्य मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक/6/बजट/2210/2014/03/भोपाल दिनांक 11.4.2014 एवं पत्र क्रमांक/ अप्रशा/सेल–3/1105 /भोपाल दिनांक 27.7.2015 द्वारा सम्बन्धित मदो में आहरण के लिए वित्तीय अधिकारो की पुस्तिका भाग–1 एवं वित्तीय अधिकारो का प्रत्ययोजन भाग–2 में वित्तीय अधिकारो का प्रत्ययोजन जिला स्तर पर प्रावधानित किए गए है। दवाऐं/केमिकल/ड्रेसिंग मटेरियल के क्रय हेतु खर्च की मंजूरी दी गई है जिसमें कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्तपताल अधीक्षक जिला धार को दर अनुबंध के अनुसार राशि रू 20.00 लाख, स्थानीय क्रय राशि रू 10.00 लाख एवं आपात एवं केजुल्टी क्रय हेतु राशि रू 25000/– की सीमा निर्धारित की गई है। तथा आवश्यकता से अधिक कार्य की स्थिति में दायित्वो के आहरण के लिए पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना चाहिए जो प्रकरण में अपेक्षित रहा है।

म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम–118 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात उपलब्ध बजट आंबटन अनुसार सामग्री क्रय करने की कार्यवाही की जाना चाहिए तथा उक्त सामग्री क्रय करते समय क्रय समिति का अनुमोदन/अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग के ममो क्रमांक–296/23–1–ओएम/भोपाल दिनांक 05.11.66 के अनुसार नियमानुसार क्रय समिति गठित की जाना चाहिए परन्तु कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखो के अनुसार गठित क्रय समिति की अनुशंसा जांच दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है।

म.प्र. वित्तीय संहिता के नियम–8 एवं 9 एवं अन्य समस्त सुसंगत नियमों का पालन किया जाना चाहिए बिना बजट के कोई भी लायबिल्टी सर्जित नहीं की जाना चाहिए उक्त नियमों के प्रतिकूल क्रय करने पर म.प्र. कोषालय संहिता के नियम–290 एवं 291 जिसमें आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदारी निर्धारित की गई है।

अतः जांच दल के समक्ष कार्यालय द्वारा जो अभिलेख प्रस्तुत किए उसके आधार पर जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाकर आपकी ओर सादर प्रेषित है।

अमित तिवारी	दिनेश सोलंकी	जितेन्द्र मिधोरिया	जितेन्द्र रोजडे	प्रतीक कुमार नेताम
क.ले. अधि.	क.ले. अधि.	क.ले. अधि.	क.ले. अधि.	क.ले. अधि.

68 [redacted] परिशिष्ट - 2

दीपक सिंह
आई. ए. एस.
कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला धार (म. प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला धार (म. प्र.)
(कार्या.) 07292-234702
☎ (नि.) 07292-234701
(फेक्स) 07292-234711
Email - dmdhar@mp.nic.in

अर्द्ध शा. प. क्र. 143/2018/18

दिनांक 04-07-18

विषय :–जिला अस्पताल धार में माह अप्रेल मई 2018 में की गयी खरीदी में अनियमितता करने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी।

--- 000 ---

Respected Madam,

उपरोक्त विषय में धार जिला मुख्यालय स्थित, जिला अस्पताल में प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला कोषालय अधिकारी धार, डिप्टी कलेक्टर धार एवं नायब तहसीलदार धार तथा अन्य सदस्यों के माध्यम से जिला अस्पताल, धार में माह अप्रेल एवं मई 2018 में की गयी विभिन्न सामग्रियों की गयी खरीदी की जांच करायी गयी। जिला कोषालय अधिकारी, जिला धार द्वारा उनके पत्र क्रमांक 1822/गोपनीय/जांच दिनांक 03.07.2018 द्वारा दिया गया विस्तृत जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है।

प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार निम्नांकित अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त खरीदी हेतु दोषी पाये गये हैं,

1. श्री एस.के.खरे, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल, धार
2. श्री देवीसिंह चौहान, लेखापाल, जिला अस्पताल, धार
3. श्री धर्मेश अहिरवार, स्टोर कीपर, जिला अस्पताल, धार
4. श्री दिलीप पटेल, क्रय लिपिक (फार्मासिस्ट ग्रेड–2) जिला अस्पताल, धार

In Dt. 05/07/18
Out Dt. 05/07/18

1774
05/07/18

AD(F)
5/7/18

70

पृ.क्रमांक 444 /सतर्कता/2018 धार,दिनांक 04.07.18

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

2. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल

3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला धार (म.प्र.)

(69)

श्री एस.के.खरे, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल, धार को वरिष्ठ स्तर से उक्त खरीदी में अनियतिता के अनुक्रम में आपके स्तर से निलंबित किया जा चुका है एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासन नियमानुसार उपरोक्त क्रमांक 2, 3, 4 को आदेश क्रमांक 8867/स्थापना दिनांक 4.7.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निलंबित किया गया है, विभागीय जांच के संबंध में पृथक से आरोप पत्र आधार पत्र जारी किया जा रहा है।

अतः इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध भण्डार क्रय नियमों के विरूद्ध खरीदी करने, फर्जी संस्थाओं से खरीदी करने, कूट रचना करने, अधिकारिता से अधिक की क्रय करने, बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी फर्मों को भुगतान करने, शासकीय राशि का गबन करने, शासन को अनियमित खरीदी के माध्यम से हानि पहुंचाने इत्यादि आरोप में इनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं शासन की राशि की वसूली करने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नः— जांच प्रतिवेदन

Regards,

भवदीय

(दीपक सिंह)

प्रति,

डॉ. पल्लवी जैन गोविल, आय.ए.एस.
आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

(71)

Steno

कार्यालय जिला को‌ालय अधिकारी धार

क्रमांक / 1822 / गोपनीय / जांच / 2018 धार, दिनांक 03.07.18

प्रति,

कलेक्टर महोदय,

जिला – धार म.प्र.

विषयः– सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार द्वारा क्रय सामग्री की जांच एवं भौतिक सत्यापन का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबद् ।

संदर्भः– अपर कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 8621 / सतर्कता / 2018 धार दिनांक 28.06.2018 एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक /6 / बजट–2210 / 2018–19 / 266 / भोपाल दिनांक 27 जून 2018

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित आदेशों के निर्देशों के परिपालन में जांच दल के द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार द्वारा क्रय सामग्री की जांच एवं भौतिक सत्यापन कर जांच प्रतिवेदन परिशिष्टों सहित पत्र के संलग्न प्रस्तुत है ।

संलग्नः– जांच प्रतिवेदन
एवं परिशिष्ट 1 से 6

जिला कोषालय अधिकारी
जिला – धार म.प्र.

72

कार्यालय सिविल सर्जन सहः मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार द्वारा क्रय सामग्री का भौतिक सत्यापन, प्रप्ति, निर्गमन म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के पालन की प्रक्रिया आदि के लेखों की जॉच प्रतिवेदन

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक /6/बजट–2210/ 2018–19/266/भोपाल दिनांक 27 जून–2018 एवं कार्यालय कलेक्टर जिला धार म.प्र. के आदेश क्रमांक 8621/सतर्कता/2018 धार दिनांक 28.06.2018 के द्वारा कार्यालय सिविल सर्जन जिला अस्पताल धार द्वारा सफाई मद के अंतर्गत सामग्री क्रय में की गई वित्तीय अनियमितता की जॉच के लिये खरीदी की गई सामग्री के भौतिक सत्यापन एवं क्रय प्रक्रिया के परीक्षण हेतु निम्नानुसार दल गठित किया गया :–

1– श्रीमती भगवती काग, जिला कोषालय अधिकारी
2– सुश्री नेहा साहु, डिप्टी कलेक्टर, धार
3– सुश्री अंजली गुप्ता, नायब तहसीलदार, धार
4– श्री जितेन्द्र रोजड़े, कनिष्ठ लेखा अधिकारी,सी.एम.एच.ओ.कार्यालय, इन्दौर
5– श्री आर.के. गांगले, ऑडिटर, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ सेवाऐ कार्यालय, इन्दौर

उक्त जांच दल द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय के पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी चाही गई जो निम्नानुसार है ।

वर्ष 2016–17,2017–18,2018–19 आज दिनांक तक कार्यरत सिविल सर्जन

कमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
1	डॉ एन.डी.सराफ,–रेडियोलॉजिस्ट	01.04.16 से 17.07.16 तक
2	डॉ एम.के.बोरासी– अस्थि रोग विशेषज्ञ	21.07.16 से 12.06.17 तक
3	डॉ एस.के.खरे– अस्थि रोग विशेषज्ञ	13.06.2017 से निरंतर

वर्ष 2016–17,2017–18,2018–19 आज दिनांक तक कार्यरत आहरण संवितरण अधिकारी

कमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
1	डॉ एन.डी.सराफ,–रेडियोलॉजिस्ट	01.04.16 से 17.07.16 तक
2	डॉ एम.के.बोरासी– अस्थि रोग विशेषज्ञ	21.07.16 से 12.06.17 तक
3	डॉ एस.के.खरे– अस्थि रोग विशेषज्ञ	13.06.2017 से निरंतर

वर्ष 2016–17,2017–18,2018–19 आज दिनांक तक कार्यरत लेखापाल

कमांक	कर्मचारी का नाम	अवधि
1	श्री देवी सिंह चौहान	01.04.16 से 17.07.16 तक
2	श्री देवी सिंह चौहान	21.07.16 से 12.06.17 तक
3	श्री देवी सिंह चौहान	13.06.2017 से निरंतर

वर्ष 2016–17,2017–18,2018–19 आज दिनांक तक कार्यरत स्टोरकीपर

कमांक	कर्मचारी का नाम	अवधि
1	श्री धर्मेश अहिरवार	01.04.16 से 17.07.16 तक
2	श्री धर्मेश अहिरवार	21.07.16 से 12.06.17 तक
3	श्री धर्मेश अहिरवार	13.06.2017 से निरंतर

(73)

वर्ष 2016–17,2017–18,2018–19 आज दिनांक तक कार्यरत कयलिपिक

कमांक	कर्मचारी का नाम	अवधि
1	श्री दिलीप पटेल(फार्मासिस्ट ग्रेड–2)	01.04.16 से 17.07.16 तक
2	श्री दिलीप पटेल(फार्मासिस्ट ग्रेड–2)	21.07.16 से 12.06.17 तक
3	श्री दिलीप पटेल(फार्मासिस्ट ग्रेड–2)	13.06.2017 से निरंतर

उक्त दल दिनांक 28.06.2018 को कार्यालय समय पर कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार में उपस्थित हुआ। दल द्वारा उक्त कार्यालय से प्रकरण से संबंधित अभिलेखों जैसे क्रय–आदेश, टेण्डर अभिलेख,स्टॉक पंजी, स्टॉक शेष, उपस्थिति पंजी, क्रय व्हाउचर फाईल, कैश बुक इत्यादि दस्तावेजों का परीक्षण हेतु चाहा गया । किन्तु कार्यालय द्वारा निम्नांकित अभिलेख ही दल को प्रस्तुत किए गए :–

1– क्रय समिति गठन का आदेश

2– नोटशीट पृष्ठ–1 (प्रोसिडिंग)

3– माह अप्रेल 2018 से मई 2018 के मध्य क्रय के देयक

4– स्टॉक पंजी

5– वार्ड की स्टॉक पंजी

6– इश्यु व्हाउचर्स

7– केश बुक

कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का दल द्वारा परीक्षण करने पर निम्नलिखित फर्मो से सामग्री क्रय किया जाना पाया गया :–

(A)म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन :–

स. क्र.	मद जिसमें क्रय किया गया	सामग्री का नाम	दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक. /दिनांक	राशि
1	31-006	ISI Marked white phenle	37/09.4.18	53/06.4.18	398250
2	31-006	Detergent Soap			
3	31-006	Washing powed 1 kg packing	37/09.4.18	54/06.4.18	194700
4	31-006	Bio medical waste collection Bag 10Lir. (colour code Black,red,yellow,blue)	37/09.4.18 37/09.4.18	55/06.4.18 56/06.4.18	265500 129800
5	31-006	Bio medical waste collection Bag 25Lir. (colour code Black,red,yellow,blue)	37/09.4.18	57/06.4.18	182900
6	31-006	Bio medical waste collection Bag 60Lir. (colour code Black,red,yellow,blue)	37/09.4.18	58/06.4.18	230100
7	31-006	Hand wash liquid soap 500 ml with dispenser.	37/09.4.18	59/06.4.18	265500
8	31-006	Hand wash Liquid sterlium Type 500 ml Generally used for the disinfectant between patient and doctor	37/09.4.18	60/06.4.18	256650
9	31-006	ISI marked white phenyl 5 litter packing.	37/09.4.18	61/06.4.18	398250
योग	0	0	0	0	2321650

(74)

(B)म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन :–

स.क्र.	मद जिसमें क्रय किया गया	सामग्री का नाम	दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक. /दिनांक	राशि
1	**31-006**	Waste Bio medical waste collection Bag 60Lir. (colour code Black,red,yellow,blue)	**36/09.4.18**	**31/05.4.18**	**230100**
2	**31-006**	Rassi Pochha ½ Kg Wiper Xtra Large Size	**36/09.4.18**	**32/05.4.18**	**332760**
3	31-006	Full Jhadu Big Size deluxe 'Sikh Jhadu, Sweeper Jhadu	36/09.4.18	33/05.4.18	253500
4	31-006	Foot Pochha Doormat 16×24, Foot Pochha Doormat 18×30	36/09.4.18	34/05.4.18	118000
5	**31-006**	Rassi Pochha ½ Kg Wiper Xtra Large Size	**36/09.4.18**	**35/05.4.18**	**110920**
6	**31-006**	Full Jhadu Big Size deluxe 'Sikh Jhadu, Sweeper Jhadu	**36/09.4.18**	**36/05.4.18**	**84500**
योग	**Total**	**0**	**0**	**0**	**1129780**

(C)म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन :–

स.क्र.	मद जिसमें क्रय किया गया	सामग्री का नाम	दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक. /दिनांक	राशि
1	**31-006**	Handwash Liquid Soap 500ml with Dispenser.	**39/09.4.18**	**70/09.4.18**	**531000**
2	**31-006**	Washing Powder 1 kg Packing	**39/09.4.18**	**71/09.4.18**	**177000**
3	**31-006**		**39/09.4.18**	**72/09.4.18**	**513300**
4	**31-006**	Toilet Acid Cum Disnefectant 5 Ltr. Packing	**39/09.4.18**	**73/09.4.18**	**531000**
योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**1752300**

(D)म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैनः–

स.क्र.	मद जिसमें क्रय किया गया	सामग्री का नाम	दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक. /दिनांक	राशि
1	**31-006**	Hand wash liquid (Sterillum Type) 500 ml Generally used For the Disinfectant Between Patient And Doctor	**34/04.4.18**	**18/05.4.18**	**256650**
2	**31-006**	Bio medical waste collection Bag 25Lir.	**34/04.4.18**	**19/05.4.18**	**365800**

75

3	31-006	Bio medical waste collection Bag 10Lir. (colour code Black,red,yellow,blue)	34/04.4.18	20/05.4.18	259600
4	31-006	Bio medical waste collection Bag 60Lir. (colour code Black,red,yellow,blue)	34/04.4.18	21/05.4.18	230100
5	31-006	Ecofriendly Solution 5 ltr. Packing	34/04.4.18	22/05.4.18	106200
6	31-006	Dust Control Mode 9(For Cleaning And Dust Control)	34/04.4.18	23/05.4.18	159300
7	31-006	Toilet Acid cum Disinfectant 5 Litter Packing	34/04.4.18	24/05.4.18	265500
8	31-006	Full Jhadu Big Size Deluxe ,Sikh Jhadu,Sweeper Jhadu	34/04.4.18	25/05.4.18	253500
9	31-006	Rashi Pocha ½ Kg	34/04.4.18	26/05.4.18	154350
10	31-006	Wiper Xtra Large Size	34/04.4.18	27/05.4.18	159300
11	31-006	Naphthalene ball 10 gm Pack	34/04.4.18	28/05.4.18	112100
12	31-006	Washing Powed 1 kg Packing	34/04.4.18	29/05.4.18	442500
13	31-006	Hand wash liquid soap 500 ml with dispenser.	34/04.4.18	30/05.4.18	265500
योग	0	0	0	0	3030400

(E)हरिओम विक्रय केन्द्र, इन्दौर :—

स.क्र.	मद जिसमें क्रय किया गया	सामग्री का नाम	दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक. /दिनांक	राशि
1	31-006	Toilet Soap Liquid 500 ml	25/09.4.18	G00001/ 05.4.18	141600
2	31-006	Toilet Soap Liquid 5 Liter	25/09.4.18	G00002/ 05.4.18	159300
3	31-006	Phenyl White Disinfectant Fluids	25/09.4.18	G00003/ 05.4.18	218300
4	31-006	Herbal Hand Sanitizer 500 ml	25/09.4.18	G00004/ 05.4.18	164020
5	31-006	De-Odorizing Cum Disinfectant Fluids 5 ltr	25/09.4.18	G00005/ 05.4.18	282846
6	31-006	Phenyl White Disinfectant Fluids	25/09.4.18	G00006/ 05.4.18	218300
योग	0	0	0	0	1184366

Cor

75

(F) व्ही.केयर मेडीप्लास्ट प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर :—

स.क्र.	मद जिसमें क्रय किया गया	सामग्री का नाम	दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक. / दिनांक	राशि
1	31-006	Wiper	38/09.4.18	27/06.4.18	103545
2	31-006	Paddle Office Dustbin	38/09.4.18	28/06.4.18	99769
योग	0		0	0	203314

(G) श्री हायजीन प्रोडक्ट इन्दौर :—

स.क्र.	मद जिसमें क्रय किया गया	सामग्री का नाम	दिनांक	एजेन्सी का बिल क्रमांक. / दिनांक	राशि
1	31-006	Toilet cleaner 5Ltr	38/09.4.18	30/07.4.18	97350
2	31-006	Ferfume Floor 5Ltr	38/09.4.18	26/07.4.18	97970
3	31-006	White Phenyl 5 Ltr	38/09.4.18	27/07.4.18	97350
4	31-006	Hand wash 500Ml	38/09.4.18	29/07.4.18	103545
5	31-006	Air Freshner Bowl (50 Gm pack)	38/09.4.18	28/07.4.18	101775
6	31-006	Naphthalene Balls 500 gm	38/09.4.18	31/07.4.18	100890
योग	0		0	0	598880

इस प्रकार उक्त फार्मो से कुल राशि रू.10220690/— की माह अप्रैल 2018 एवं मई 2018 में सामग्री क्रय किया जाना पाया गया है। जॉच का विस्तृत बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :—

1— सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार के आदेश क्रंमाक/भंडार/2018/905 धार दिनांक 10.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 हेतु तकनीकि क्रय समिति का गठन किया गया है, किन्तु उक्त समिति द्वारा सामग्री क्रय किये के जाने के संबंध में बैठक के आयोजन, प्रोसिडिंग , सामग्री का क्रय अनुमोदन, निविदा विज्ञप्ति, टेण्डर संबंधित कार्यवाही के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही पाये गये ।

2— जांच दल को दिनांक 28.06.2018 को निविदा प्रकिया संबंधित जो दस्तावेज एवं नस्ति उपलब्ध कराई गई उसमे मात्र एक पेज की Proceeding थी । किन्तु 29.06.2018 को कार्यालय द्वारा निविदा प्रकिया के संबंध में जो नस्ति व दस्तावेज उपलब्ध कराये गये उसमे 4 पेज की नस्ति में कय प्रकिया संबंधित पूर्ण प्रकिया की Proceeding उल्लेखित है जिसमें कार्यालय द्वारा दस्तावेजों में हेर फेर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

602

3— सामग्री क्रय हेतु मांग पत्र प्राप्त नहीं किया गया है । क्रय की नस्ती के साथ जो सामग्री सूची प्रस्तुत की गई वह स्पष्ट नहीं है । साथ ही प्राप्त सूची अनुसार सामग्री क्रय की मात्रा का मिलान वास्तव में क्रय की गई सामग्री की मात्रा से किया गया, जिसमें विसंगति/भिन्नता पायी

77

म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की कंडिका– 11.1 एवं कंडिका 11.2 में निर्धारित प्रक्रियाओं के विपरीत बिना निविदा प्राप्त किये कुल रू.10220690/– का क्रय किया गया है।

5– म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 11.1.7 अनुसार पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सीमित/खुली निविदा के माध्यम से क्रय आदेश जारी किये जाने के प्रावधान है, किन्तु कार्यालय द्वारा प्रावधान के विपरीत सहकारी समिति से बिना निविदा आंमत्रित किए रू. 8234130/–का क्रय म.प्र. राज्य उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन से राशि रू.1184366/– श्री हरिओम विक्रय केन्द्र इन्दौर, राशि रू.203314/– व्ही.केयर मेडिप्लास्ट लिमिटेड इन्दौर तथा राशि रू.598880/– श्री हायजिन प्रोडक्ट इन्दौर से समाग्री क्रय की गई , जो कि म.प्र. भण्डार क्रय नियम के तहत अधिकृत संस्था नही है ।

6– म.प्र. वित संहिता भाग–1 एवं भाग–2 तथा म.प्र.बुक ऑफ फायनेन्शियल पावर्स 1995 के भाग–1 एवं 2 के अंतर्गत शासन द्वारा विभागीय अधिकारियों को विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किए गये है, म.प्र. शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ/3–4/2004/नियम/चार/भोपाल दिनांक 29.12.2006 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गए है, कि जिस अधिकारी को जिस सीमा तक वित्तीय अधिकार प्रदत्त है, उनका प्रयोग वह अधिकारी उसी निर्धारित सीमा में कर सकते है। परीक्षण में यह भी पाया गया कि सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला धार द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा से अधिक व्यय किया जाकर बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए (सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने की दृष्टि से) क्रय आदेश टुकडों में जारी किये गये एवं पृथक – पृथक दिनांको में क्रय आदेश जारी किए जाकर म.प्र. वित्त संहिता नियम–119 का उल्लंघन किया गया है ।

7– संचालनालय स्वास्थ्य मध्यप्रदेश भोपाल के परिपत्र क्रमांक/6/बजट/2210/2014/03/भोपाल दिनांक 11.4.2014 एवं पत्र क्रमांक/ अप्रशा/सेल–3/1105 /भोपाल दिनांक 27.7.2015 द्वारा सम्बन्धित मदो में आहरण के लिए वित्तीय अधिकारो की पुस्तिका भाग–1 एवं वित्तीय अधिकारो का प्रत्यायोजन भाग–2 में वित्तीय अधिकारो का प्रत्यायोजन जिला स्तर पर प्रावधानित किए गए है। दवाऐं/केमिकल/ड्रेसिंग मटेरियल के क्रय हेतु खर्च की मंजूरी दी गई है जिसमें कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्तपताल अधीक्षक जिला धार को एक वित्तीय वर्ष में दर अनुबंध के अनुसार राशि रू 20.00 लाख, स्थानीय क्रय राशि रू 10.00 लाख एवं आपात एवं केजुल्टी क्रय हेतु राशि रू 25000/– की सीमा निर्धारित की गई है तथा आवश्यकता से अधिक क्रय की स्थिति में देयको के आहरण के लिए पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना चाहिए जो प्रकरण में अपेक्षित रहा है। बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं वित्तीय प्रत्ययोजित अधिकारों के प्रतिकूल अनाधिकृत एजेन्सियों/फर्मो से बिना निविदा जारी किये क्रय किया गया है ।

78

कार्यालय के स्टोर कीपर श्री धर्मेश अहिरवार द्वारा बताया गया कि सिविल सर्जन कार्यालय में क्रय की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति सिविल सर्जन कार्यालय परिसर (भोज अस्पताल) में स्थित 15 वार्डो में ही की जाती है – जिला मुख्यालय (धार शहर) के बाहर किसी भी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल को सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है ।

सेन्ट्रल स्टॉक पंजी से वार्डो को प्रदाय सामग्री का वार्डो के स्टॉक रजिस्टर से मिलान करने पर पाया गया कि सेंट्रल स्टॉक पंजी से इश्यू व्हाउचर में उल्लिखित सामग्री की प्रविष्टियां पूर्ण रूप से अंकित नहीं की गई । सामग्री का वितरण जिन वार्डो को किया गया उन वार्डो के स्टाक रजिस्टर में सामग्री की मात्रा/संख्या प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम प्राप्ति दिनांक आदि का विवरण अंकित नहीं पाया गया । स्टॉक रजिस्टर भी अधिकृत अधिकारी से सत्यापित नहीं पाया गया।

वार्डो की स्टांक पंजी का अवलोकन किये जाने पर प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सामग्री निर्गमन/वितरण की प्रविष्टियां प्रतिदिन न कि जा कर एक साथ एक ही दिवस में कर दी गई है।

9 कलेक्टर जिला धार द्वारा जांच दल के सहयोग हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को कार्य विशेष हेतु नामित किया गया –

क्रमांक	अधिकारी का नाम, पद व कार्यालय	कार्य जिस हेतु नामित किया गया
1	श्री नवीन शुक्ला प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार	फर्मो/संस्थाओं की क्रय ईकाई की जांच
2	श्री आशीष वर्मा कराधान सहायक कार्यालय वाणिज्यक कर धार वृत्त	क्रय सामग्री पर जीएसटी के सत्यापन हेतु
3	श्री प्रदीप जैंन सहायक आपुर्ति अधिकारी बदनावर जिला धार	फर्मो/संस्थाओं के कारोबार स्थल की स्थिती के संबंध में
4	श्री गोपाल सिंह धारवा सहायक अधीक्षक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय धार	परिवहन के संबंध में
5	श्री जीवन मोघी सहायक अधिक्षक भू–अभिलेख धार	फर्मो/संस्थाओं के कारोबार स्थल की स्थिती के संबंध में

(क)– कलेक्टर जिला धार द्वारा श्री नवीन शुक्ला प्रबन्धक DTZC धार को कार्यालय सिविल सर्जन जिला धार द्वारा जिन फर्मो से सामग्री कय की गई, उन फर्मो/संस्थाओं की कय ईकाई की जांच हेतु दल के सहयोग हेतु शामिल किया गया श्री नवीन शुक्ला द्वारा फर्मो के संबंध में चाही गई जानकारी एवं अभिलेख कार्यालय द्वारा उपलब्ध नही करवाये गये । अनुलग्नक – परिशिष्ट एक

(ख)– इसी प्रकार कलेक्टर जिला धार द्वारा श्री आशीष वर्मा कराधान सहायक धार वृत्त को कार्यालय सिविल सर्जन धार द्वारा कय सामग्री पर जी.एस.टी के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया । श्री आशीष वर्मा द्वारा अपने प्रतिवेदन में अवगत करवाया गया कि सिविल सर्जन द्वारा जिन संस्थाओं/फर्मो से सामग्री कय की गई है, उनका जी.एस.टी के कामन पोर्टल से जी.एस.टी नंबर का सत्यापन किया गया । अनुलग्नकः– परिशिष्ट – दो

79

(ग)– कलेक्टर जिला धार द्वारा श्री प्रदीप जैन, सहायक आपूर्ति अधिकारी बदनावर को कार्यालय सिविल सर्जन जिला धार द्वारा जिन फर्मो/संस्थाओं से सामग्री क्रय की गई उनके कारोबार स्थल के निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया । श्री जैन द्वारा अवगत करवाया गया कि उनका मुआयना किया गया ।

(1) मैं, हरिओम विक्रय केन्द्र 48 वल्लभ नगर इन्दौर

(2) वी केयर मेडिप्लास्ट प्रा.लि. 108, रेडीमेट कॉम्पलेक्स परदेशीपुरा इन्दौर

श्री जैन ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि उक्त दोनों फर्मो के पते पर कोई साईन बोर्ड लगा नहीं पाया एवं आस पास के रहवासियों ने भी उक्त फर्मो के बारे मे अनभिज्ञता व्यक्त की है । अनुलग्नक :– परिशिष्ट – तीन (i)(ii)(iii)

(घ)– कलेक्टर जिला धार द्वारा श्री गोपाल सिंह धारवा को कार्यालय सिविल सर्जन धार द्वारा जो सामग्री क्रय की गई, उस सामग्री को भण्डार गृह धार तक पहुंचाने एवं परिवहन संबंधी अभिलेखों एवं क्रय की जांच हेतु निर्देशित किया गया । श्री धारवा द्वारा जांच में पाया गया है कि सामग्री पर कोई परिवहन व्यय नहीं दर्शया गया है । नहीं कोई बिल्टी उपलब्ध पायी गई । अनुलग्नकः– परिशिष्ट – चार

(ञ)– कलेक्टर जिला धार द्वारा श्री जीवन मोघी, ASLR Dhar को कार्यालय सिविल सर्जन जिला धार द्वारा जिन फर्मो/संस्थाओं से सामग्री क्रय की गई उनके कारोबार स्थल के निरीक्षण हेतु निर्देशित किय गया । श्री मोघी द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित उज्जैन (म.प्र) 100/2 गौवर्धन धाम नगर सावेर रोड कार्यालय पर उपस्थित हुआ कार्यालय पक्के भवन में प्रथम तल पर तनी कमरो में संचालित है कार्यालय मुख्य मार्ग पर ही है कार्यालय में तीन व्यक्तियों का स्टाफ है । मौके पर मुझे श्री विजय शर्मा भृत्य उपस्थित मिले श्री विजय शर्मा द्वारा बतलाया गया कि कार्यालय में श्री रमाकान्त शर्मा शाखा प्रबंधक एवं श्री जगदीश चन्द्र लेखा पाल है श्री रमाकान्त शर्मा जी से दूरभाष पर चर्चा भी की गई । श्री शर्मा जी कार्यालय कार्य से इन्दौर गये हुये है शाखा प्रबंधक श्री शर्मा जी द्वारा बतलाया कि यह राज्य स्तरीय संस्था है व इसके सभी संभागों में कार्यालय है सभी कार्यालय वर्तमान में संचालित भी है । मुआयना किया गया । अनुलग्नकः– परिशिष्ट – पांच

10– **सामग्री का भौतिक सत्यापन** :– जांच दल ने कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक जिला धार द्वारा क्रय सामग्री का स्टाक पंजी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया गया । सत्यापन में पाई गई सामग्री संपुर्ण विवरण सलंग्न परिशिष्ट छः पर अंकित है ।

सुश्री अंजली गुप्ता नायब तहसीलदार,धार	सुश्री नेहा साहु डिप्टी कलेक्टर, धार	श्रीमती भगवती काग, जिला कोषालय अधिकारी धार

श्री जितेन्द्र रोजड़े कनिष्ठ लेखा अधिकारी, सी.एम.एच.ओ.कार्यालय, इन्दौर	श्री आर.के. गोगले ऑडिटर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ सेवाऐ कार्यालय,इन्दौर